जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह

आम सूचना

नरेगा के तहत् संविदा के आधार पर ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्ति से संबंधित सूचना ।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रॉची के संकल्प संख्या–4729 दिनांक 04.06.07 के क्रम में निर्गत षुद्धि पत्र (ज्ञापांक– 5958 दिनांक 17.08.09) द्वारा प्राप्त निर्देष के अनुसार राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् ग्राम रोजगार सेवक के संविदा आधारित नियुक्ति हेतु तैयार की गयी मेघा सूची अधिकतम दो वर्शों के लिये ही वैद्य है ।

इस कार्यालय के पत्रांक 1267 दिनांक 13.06.09 द्वारा गिरिडीह जिले लिये नरेगा के तहत् संविदा आधारित ग्राम रोजगार सेवक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मेधा सूची प्रकाषित की गयी थी । उक्त मेधा सूची प्रकाषन के उपरान्त दो वर्श की अवधि पुरी हो चुकी है ।

अतः ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रॉची के ज्ञापांक 5958 दिनांक 17.08.09 द्वारा प्राप्त निदेष के अनुपालन में गिरिडीह जिले के लिये नरेगा के तहत् ग्राम रोजगार सेवक के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु अगस्त 2007 में प्रकाषित मेधा सूची एवं इसके आधार पर प्रकाषित प्रतीक्षा सूची को तत्कालिक प्रभाव से रद्ध किया जाता है ।

कालान्तर में गिरिडीह जिले के लिये स्वीकृत पद के विरूद्ध राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, रॉची के पत्रांक 4–160(नरेगा)/2008/ग्रा0वि0–374 दिनांक 27.01.10 द्वारा प्राप्त निर्देष के आलोक में ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पद पर मेधा सूची तैयार करने हेतु अभ्यर्थियों से नीचे उल्लेखित निर्देषों के अनुसार विहित प्रपत्र में दिनांक 2.3.10 के अपराह्न 4:00 बजे अपराह्न तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है ।

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह ।

निर्देष एवं षर्त्त :–

1. आवेदन– पत्र उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, गिरिडीह के पदनाम से मात्र निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा ।
2. परिलब्धि : 3500/– (तीन हजार पॉच सौ) रूपये मात्र प्रतिमाह ।
3. षैक्षणिक योग्यता–
   1. न्यूनतम सरकारी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय /संस्थान से इंटरमीडियट या मैट्रिक परीक्षा के पष्चात् किसी भी ट्रेड में ण्ज्ण् मैट्रिक के पष्चात् ण्ज्ण् की स्थिति में ण्ज्ण् के प्राप्तांक प्रतिषत को इंटरमीडियट प्राप्तांक प्रतिषत के समतुल्य समझा जायेगा ।
   2. अतिरिक्त योग्यता :

      (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय /संस्थान से किसी भी विशय /संकाय में स्नातक प्रतिश्ठा /सामान्य स्नातक/ बी0सी0ए0 तथा किसी विशय में स्नातकोत्तर /पी.जी0डी0एस0ए0 /पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी ।

      (ख) स्नातक प्रतिश्ठा के प्रतिषत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा । पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिये उनके प्राप्तांक प्रतिषत में 5 घटा दिया जायेगा ।

      (ग) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडियट स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिषत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा । सभी षैक्षणिक योग्यताएॅ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो ही मान्य होगी ।
4. आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्श (01.02.2010 को)

   अधिकतम आयु सीमा

   (क) अनारक्षित – 35 वर्श (ख) पिछड़ा /अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 37 वर्श

   (ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा)– 38 वर्श

   (घ) अनु0 जाति/ जन जाति (पुरूश एवं महिला)– 40 वर्श
5. आरक्षण– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण रोस्टर गिरिडीह जिला के तत्समय निर्गत आदेष के अनुसार निर्धारित किया जायेगा ।
6. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन गिरिडीह जिला के किसी प्रखंड एवं किसी ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगा ।
7. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा में आवष्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे

एक माह के लिखित सूचना या एक माह के परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा कार्य असंतोशजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जायेगी ।

8. अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा । उस आवेदन के साथ यह षपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि झारखंड के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु उन्होंने आवेदन समर्पित नहीं किया गया है । यदि उनका यह षपथ पत्र कभी भी गलत पाया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्ध समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

9. प्रषिक्षण :– प्रषिक्षण अवधि एवं स्थल का निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा । आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के षैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों /अंक पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवष्यक है । आवेदन– पत्र उपायुक्त के पदनाम से मात्र निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक– 2.3.10 के अपराह्न 4:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को प्राप्त हो जाना चाहिए ।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

अद्यतन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ्स

1. अभ्यर्थी का नाम
2. पिता / पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्त्तमान पता
5. जन्म तिथि
6. लिंग : पुरूश / महिला
7. कोटि : अ.जा./अ.ज.जा. /पिछड़ी जा./ सामान्य (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)
8. षैक्षणिक योग्यता

क0	परीक्षा का नाम	कुल प्राप्तांक	विष्वविद्यालय /संस्थान का नाम	प्राप्तांक का प्रतिषत

9. अनुभव का विवरणी एवं प्रमाण– पत्र
10. आवेदक का हस्ताक्षर
11. स्थान
12. दिनांक

ज्ञापांक...................../अभि0, गिरिडीह दिनांक............

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेशित करते हुए निदेष दिया जाता है कि वे दिनांक ....को मात्र एक दिन उपरोक्त सूचना को स्थानीय तीन दैनिक समाचार पत्र के मात्र स्थानीय संस्करण में 2ग15 बउ आकार में डी0ए0भ0पी0 के अनुमोदित दर पर प्रकाषित कराना सुनिष्चित करेंगे ।

प्रतिलिपिः– अपर उपायुक्त गिरिडीह /अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट के माध्यम से विज्ञापन हेतु प्रेशित ।

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह ।